LAND ALLOTMENT

श्री डी. सिंह / प्राप्त पत्र तथा ले आउट के. वि. सं., क्षे. का., जबलपुर को भेजें / By Fax

15/10/08

कार्यालय कलेक्टर,(नजूल),जिला सागर,(म0प्र0)

क्रमांक / 290 / नजूल / 2008. सागर,दिनांक 10 / 10 / 2008

प्रति,

प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय क्र.–3
सागर म.प्र.।

विषयः– केन्द्रीय विद्यालय क्र.–3 भूमि आवंटन के संबंध में।

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 199 / नजूल / 2008, दिनांक 07.07.2008 के अनुसार ग्राम तिलीमाफी प.ह.नं. 63 के खसरा नंबर 233 / 1 में से 15 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय क्र.–3 के निर्माण हेतु आवंटित की गई थी। पूर्व में आवंटित भूमि के स्थल में आंशिक रूप से संशोधन किया गया है जिसका संशोधित नक्शा भी आपकी ओर भेजा जा चुका है, उपरोक्त भूमि पर अनेक संस्थाओं को भूमि आवंटन हेतु सुरक्षित की गई है, जिसका स्थल ले–आऊट तैयार किया गया है जिसकी एक प्रति आपको संलग्न भेजी जा रही है, स्थल संशोधन के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्र.288 / नजूल / 2008, दिनांक 04.10.2008 के अनुसार सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भोपाल एवं प्रमुख सचिव म.प्र. राजस्व विभाग भोपाल को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। आप अपने अधिनस्थ निर्माण एजेंसी ठेकेदार अथवा किसी जिम्मेदार अधिकारी को संशोधित स्थल अनुसार भूमि चिन्हित करने के संबंध में नियुक्त करें, ताकि राजस्व अमले द्वारा स्थल पर भूमि को चिन्हित कर स्थल की स्थिति अवगत कराई जा सकें।

संलग्नः– ले-आऊट की प्रति

{हीरालाल त्रिवेदी}
कलेक्टर
सागर

पृ0 क्र0 / नजूल / 2008 सागर,दिनांक / 10 / 2008

प्रतिलिपिः–

1.– नायब तहसीलदार, नजूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नजूल अधिकारी सागर (म.प्र.)

{हीरालाल त्रिवेदी}
कलेक्टर
सागर

कार्यालय कलेक्टर,जिला सागर,(म0प्र0)

(68)

प्रकरण क्रमांक 12 अ/20{1}2006–2007

/आदेश/

प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–3 सागर द्वारा केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–3 सागर के भवन निर्माण हेतु ग्राम तिलीमाफी के खसरा नंबर 233/2 में से 15.0[illegible] एकड़ भूमि जो [illegible] अभिलेख में नजूल आबादी दर्ज है में से 15 एकड़ भूमि केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–3 सागर के भवन निर्माण हेतु मांग की गई है।

उपरोक्त भूमि आबंटन के संबंध में तहसीलदार सागर के द्वारा प्रकरण तैयार कर, प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भूमि आबंटन किये जाने के संबंध में इश्तहार {दैनिक भास्कर दिनांक 22.02.2007, राज एक्सप्रेस दिनांक 22.02.2007, दैनिक आचरण दिनांक 22.02.2007 एवं स्वदेश ज्योति दिनांक 22.02.2007} में जारी किया गया। समयावधि में किसी की भी कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई।

संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, सागर से अभिमत लिया गया। उनके पत्र क्रमांक 45/नग्रानि/07, दिनांक 09.01.2007 द्वारा उल्लेख किया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक–3 सागर के लिये भवन निर्माण हेतु मांग की भूमि सागर विकास योजना में मेडीकल कॉलेज के लिये प्रस्तावित किया गया है।

आयुक्त,नगर पालिका निगम, सागर से अभिमत लिया गया। उनके पत्र क्रमांक [illegible] दि. 09.01.2007 मे उल्लेख किया गया है कि नगर निगम को भी कोई आपत्ति नहीं है।

म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय,भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–[illegible]–6–[illegible]/सात/नजूल/[illegible] दिनांक 27.01.2004 की कंडिका–2 में राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड एक क्रमांक 7 के अधीन केन्द्र शासन एवं राज्य शासन के विभागों को भूमि हस्तांतरण/आबंटन के अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किये गये है।

म0प्र0 शासन,राजस्व,विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–6–34/सात/नजूल/94, दिनांक 3 मार्च,1994 के अनुसार बिना प्रब्याजि एवं नाम मात्र का पंजीकृत मूल्य 25.00 लेकर निर्धारित शर्तों पर आबंटित किये जाने हेतु उल्लेख दिया है।

नजूल राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन लिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि म0प्र0 शासन,राजस्व विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन,भोपाल के पत्र क्र0 एफ–6–34/सात/नजूल/94, दिनांक 3 मार्च,1994 के अनुसार म0प्र0 शासन के विभागों/मंत्रालयों/इकाईयों/सार्वजनिक उपक्रमों को म0प्र0 शासन ने विकास योजनाओं के लिये भूमि हस्तातरण के संबंध में आवश्यक भूमि बिना प्रब्याजि [illegible] नाम मात्र का पंजीकृत मूल्य 25.00 रूपया लेकर निर्धारित शर्तों पर आबंटित किये जाने के निर्देश दिये है.

[illegible] 3.07.

(65)

ग्राम तिली माफी के खसरा नं 233/2 में से 15 एकड़ भूमि नियमानुसार 25.00 रूपये पंजीकृत मूल्य लिया जाकर निर्धारित शर्तो पर भूमि हस्तांतरित किया जाता है।

अतः उपरोक्त निर्देशों के तहत प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3 सागर को ग्राम तिली माफी के खसरा नंबर 233/2 रकबा 150.00 एकड़/59.561 हेक्टर में से 15.00 एकड़ भूमि जो नक्शा में पीले रंग से दर्शायी गई है, केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3 सागर के भवन निर्माण हेतु म0प्र0 शासन राजस्व विभाग,मंत्रालय,भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-31/सात/नजूल/ [illegible] दिनांक 2 [illegible] 1994 [illegible] प्रब्याजि एवं नाम मात्र का पंजीकृत मूल्य 25.00 रूपये लेकर निर्धारित शर्तो पर केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 3 सागर के भवन निर्माण करने हेतु भूमि हस्तांतरण आबंटित की जाती है।

{कलेक्टर द्वारा आदेशित}

Sd/-
अपर कलेक्टर
जिला सागर

पृ0 क्रमांक /नजूल/2007/12933 सागर,दिनांक 29/03/2007

प्रतिलिपिः-

1.– सचिव,म0प्र0 शासन,राजस्व विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल।

2.– संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, सागर।

3.– अनुविभागीय अधिकारी,सागर

4.– तहसीलदार,सागर

5.– आयुक्त,नगर पालिका निगम,सागर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6.– प्राचार्य,केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-3 सागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

[signature]
अपर कलेक्टर
जिला सागर

Important landmark in the progress of K.V. No. 3 Sagar(M.P.)

Land Allotment:

- Land transfer by Collector Sagar to Principal KV No.3, Sagar on 29.03.2007
- Partial amendment to allotted land by Collector Sagar on 10.10.2008
- Partial amendment to allotted land by Collector Sagar on March 2010

Approval and release of fund by KVS:

- Approval and expenditure sanction of Rs 674.18 Lakhs by KVS(HQ) New Delhi
- Revised Approval and expenditure sanction of Rs 875.04 Lakhs by KVS(HQ) New Delhi
- Release of fund for construction of School Building/ Staff Quarters of Rs 225.00 Lakhs by KVS(HQ) New Delhi

Correspondence regarding Approach Road:

Date	From	To
29.08.2011	Technical Officer(Works), KVS(HQ), N. Delhi	The A.C. , KVS(RO), Jabalpur
02.09.2011	The Commissioner, KVS(HQ), N. Delhi	The Collector, Sagar(MP)
08/09.09.2011	The Assistant Commissioner, KVS(HQ), N. Delhi	The Principal, KV 3 Sagar(MP)
19.12.2011	The Commissioner, KVS(HQ), N. Delhi	Shri Bhupendra Singh, MP, Sagar(MP)
Dec 2011	The Upper Collector, Sagar(MP)	The Distt. Planning Officer, Sagar
03.01.2012	The Deputy Commissioner, KVS(RO), Jabalpur	The Collector, Sagar(MP)
05.01.2012	The Joint Director , Distt. Planning Office, Sagar	The Upper Collector, Sagar(MP)
03.02.2012	The Joint Director , Distt. Planning Office, Sagar	Shri Bhupendra Singh, MP, Sagar(MP)

Correspondence regarding Temporary Building:

Date	Subject	By
13.07.2012	Declaration of KV 3 temporary building unsafe	The Collector, Sagar(MP)02.09.2011
20.07.2012	Regarding temporary arrangement of KV3 in the premises of KV 1, Sagar(MP)	The Commissioner, KVS(HQ), N. Delhi

Physical & Financial Progress of New Building:

Date	Subject	By
06.09.2012	Physical & Financial Progress of New Building School Building :52% Staff Quarter :77%	The E.E., CPWD, Bhopal(MP)
03.09.2012	Regarding handover of one block of new building at the earliest	The Deputy Commissioner, KVS(RO), Jabalpur(MP)

(011) 26512579